



अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक समाचार
राजस्थान

इन्स्टीट्यूशनल अधिनियम नं.-014
PREVENTION OF VIOLENCE DAMAGE TO PROPERTY
ACT. 2009 भाग तीन के तहत

अब हो सकती है तीन साल की कैद

- विद्यालय के स्टाफ़ से दुर्व्यवहार करने पर ।
- विद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर ।
- विद्यालय व स्टाफ़ के कार्यों में बाधा पहुँचाने पर ।
- विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर ।

यह सब अब गैर जमाती अपराध है ।

अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

इन्स्टीट्यूशनल- अधिनियम नं० 14

(PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY ACT 2009) भाग 3 के तहत

अब हो सकती है 3 साल की कैद

- विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर।
- विद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर।
- विद्यालय व स्टाफ के कार्य में बाधा पहुँचाने पर।
- विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर।

यह सब
अब गैर
जमानती
अपराध है

**अधिकारियों / कर्मचारियों से उचित एवं विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें।
सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु
भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत विभिन्न कानून**

क्र.	गुनाह	भारतीय दंड विधान की धारा	सजा
01	सरकारी कार्य में रुकावट डालना	धारा 354	2 वर्ष का सश्रम कारावास
02	सरकारी कर्मचारी से वाद विवाद करना	धारा 504	2 वर्ष का सश्रम कारावास
03	सरकारी कर्मचारी से अपशब्दों का प्रयोग करना	धारा 504	2 वर्ष का सश्रम कारावास
04	सरकारी कर्मचारी को धमकी देना	धारा 506	3 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास
05	सरकारी कर्मचारी से मारपीट करना	धारा 332	3 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास
06	सरकारी कर्मचारी से वसूली मांगना / ब्लैकमेल करना	धारा 383, 384, 386	3 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास
07	सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश करना	धारा 420	2 वर्ष का सश्रम कारावास
08	सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना	धारा 378	3 वर्ष का सश्रम कारावास
09	सरकारी दस्तावेज चोरी करना	धारा 378, 379	3 वर्ष का सश्रम कारावास
10	सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंचाना	धारा 378, 379	3 वर्ष का सश्रम कारावास
11	अनाधिकृत व्यक्तियों का जमाव	धारा 141, 143	6 महीने वर्ष का सश्रम कारावास
12	सरकारी कार्यालय में गड़बड़ी करना / बल व हिंसा का प्रयोग करना	धारा 146, 148, 150	6 महीने से 2 वर्ष का सश्रम कारावास